खंड 17 संख्या 24

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर।)

मंगलवार, तिथि 27 जुलाई, 1976।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा मेज पर रखे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या 3 एवं 59	1—13
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 6, 1713, 1715, 1717—1723, 1726, 1727, 1729, 1730, 1732, 1733, 1736, 1737, 1745, 1748—1751, 1753, 1754, 1761, 1762, 1764, 1765, 1767, 1777, 1778, 1782, 1784, 1785, 1786, 1791, 1792, 1793, 1802, 1807, 1808, 1809, 1812, 1813, 1821, 1825, 1827, 1828, 2194, 2196, 2200, 2201, 2203, 2204, 2209, 2211, 2217, 2224, 2226, 2232, 2234, 2235, 2244—2249, 2252, 2258, 2264, 2276, 2277, 2281, 2286, 2291, 2295, 2297, 2304, 2305, 2307, 2315, 2316, 2324 एवं 2325	14-116
परिशिष्ट 1 एवं 2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	117—243
दैनिक निबंध	245—248

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

अभियंताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप

6. श्री जनार्दन तिवारी—क्या मंत्री, विद्युत् विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि विद्युत् बोर्ड के अन्तर्गत श्री बी0 बी0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता एवं श्री एल0 पी0 अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित हो चुके हैं;

(2) यदि खंड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इन अभियन्ताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप क्या हैं तथा इसका पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार ने अबतक कौन-सी कार्रवाई की है; यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री—(1) उत्तर नकारात्मक है ।

(2) (*i*) श्री बी0 बी0 सिन्हा के विरुद्ध आरोपों की विवरणी संलग्न है । श्री बी0 बी0 सिन्हा को विद्युत् विभाग के आदेश संख्या 368, दिनांक 15।16 जून 1972 द्वारा निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश के तामील के पूर्व ही उन्होंने उच्च न्यायालय से एक निषेधाज्ञा (स्टे) प्राप्त कर ली जो अभी भी लागू है । उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका का अभी तक निष्पादन नहीं किया है । उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय किया गया, और इस हेतु उनके ऊपर आरोप-पत्र तामील करते हुए उनको कहा गया कि वे अपना लिखित बयान प्रस्तुत करें । परन्तु उन्होंने उच्च न्यायालय में लम्बित अपनी याचिका के निष्पादन होने तक लिखित बयान देने में लाचारी व्यक्त की है । परन्तु उन्हें पुनः 17 जून 1976 को 15 दिनों के अन्दर लिखित बयान देने का आदेश दिया गया था। उनसे प्राप्त उत्तर विचाराधीन है ।

(*ii*) श्री एल0 पी0 अग्रवाल, विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता के विरुद्ध प्राप्त कतिपय आरोपों के संबंध में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा गोपनीय जांच प्रगति पर है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही आरोपों का विवरण देना संभव होगा ।

श्री विनोद बिहारी सिन्हा, विद्युत् अधीक्षण अभियंता के विरुद्ध आरोप ।

आरोप संख्या 1—आई0 सी0 टी0 पी0 स्विच की खरीद ।
श्री बी0 बी0 सिन्हा ने आई0 सी0 टी0 पी0 स्विच की खरीद के लिए भारी

संख्या में आदेश दिए एवं इन स्विचों के खरीद में उन्होंने निम्नलिखित अनियमितताएं बरतीं, जिनसे बोर्ड को हानि उठानी पड़ी:—

(1) दिये गये आदेश का मूल्य कुल 2,25,685 रु0 है, जो किसी विद्युत् अधीक्षण अभियंता की क्षमता से बाहर है;

(2) निम्नतर निविदा दरों पर आदेश न देकर उन्होंने बोर्ड को 67,679 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई;

(3) उन्होंने आपूरक को अवैध रूप से कीमत वृद्धि करने दी जिससे बोर्ड को और भी 3,380 रुपये की वित्तीय हानि उठानी पड़ी;

(4) उन्होंने अप्रार्थित ओफर के आधार पर मेसर्स चुन्नीलाल गणपत राय नामक फर्म को 9,000 रुपये से भी अधिक का आदेश दिया;

(5) उन्होंने अपने कृपापात्र फर्म मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स को उच्चतर कीमतों पर अधिकांश आदेश दिए जबकि सस्ते तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त निर्माता उपलब्ध थे;

(6) यद्यपि खुले निविदा में प्राप्त दरों की अपेक्षा डी0 जी0 एस0 डी0 की दरें काफी निम्नतर थीं, तथापि उन्होंने डी0 जी0 एस0 डी0 संविदा दर से आपूर्त्ति प्राप्त करने की समयोचित कारंवाई नहीं की।

आरोप संख्या 2—वी0 वाई0 आर0 और डब्लू0 पी0 तार की खरीद।

श्री बी0 बी0 सिन्हा, विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता ने, विभिन्न आकारों के बी0 आई0 आर0 तार तथा डब्ल्यू0 पी0 तार की आपूर्त्ति के लिए निविदा आमंत्रित किए विना तथा क्रय समिति से परामर्श किए विना, अपने कृपापात्र फर्म मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स को आदेश दिया। यह बोर्ड की वित्तीय और लेखा संहिता के अध्याय 7 की कंडिका 7.26 का उल्लंघन है।

हालांकि तत्काल आवश्यकता की पूर्त्ति के लिए इस सामग्री का स्टाक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, फिर भी, श्री सिन्हा ने, सुस्थापित नियमों और प्रक्रियाओं की घोर उपेक्षा करते हुए उच्चतर दरों पर सामग्री की अन्धाधुन्ध खरीद की। मुख्य अभियन्ताओं ने भी खबर किया कि सामग्री की अधिप्राप्ति अन्धाधुन्ध की गई, किन्तु साथ ही, उन्होंने जिस अधीक्षण अभियंता के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया कि उस समय जैसी पद्धति थी उसमें अत्यधिक सावधानी बरतना संभव नहीं था।

जब आवश्यक मांग की पूर्त्ति के लिए पर्याप्त स्टाक उपलब्ध था, तब तो, सक्षम अधिकारी की पूर्व मंजूरी के विना ही, अपने कृपा पात्र फर्म से उच्चतर दर पर इस सामग्री की और भी खरीद की गई, यह बहुत ही अनियमित काम हुआ। इसके अतिरिक्त अन्धाधुन्ध अधिप्राप्ति के बाद, उन्होंने अन्यत्र अपवर्त्तित करके (दूसरे-दूसरे कामों में लगाकर) स्टाक को घटाने की चेष्टा की। उनकी अनियमित कारंवाई के परिणामस्वरूप, बोर्ड को केवल दर में फर्क के चलते लगभग 1 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय भार उठाना पड़ गया।

इससे साफ जाहिर है कि नियमों और प्रक्रियाओं की घोर उपेक्षा कर अपने कृपा पात्र फर्म से भारी मात्रा में सामग्री मंगाने के पीछे उद्देश्य क्या था।

आरोप संख्या 3—ड्रिल विट्स की खरीद।

श्री बी0 बी0 सिन्हा ने 13×16", 9×16" और 11×16" आकार वाले ड्रिल विट्स के लिए आदेश संख्या 11330 और 11331, दिनांक 6 दिसम्बर 1966 द्वारा मेसर्स चू0 पी0 इंजीनियरिंग कारपोरेशन, भागलपुर को आदेश दिया। निविदाएं आमंत्रित किए बिना, और केन्द्रीय भंडार के सहायक विद्युत् अभियंता से मांग-पत्र प्राप्ति किए बिना ही ये आदेश दिए गए। जितनी मात्रा के लिए आदेश दिये गए वह जरूरत से बहुत ज्यादा थी। 11×16" बेकार वाले ड्रिल विट्स की बाजार दर 15 सितम्बर, 1968 को 23.10 रुपये थी जबकि श्री सिन्हा ने इसे 15 सितम्बर 1966 को 56.99 रुपये की दर पर खरीदा। पुनः 13×16" और 9×16" आकार वाले ड्रिल विट्स की बाजार दर क्रमशः 30 रुपये, 19 रु0 थी, और इसके विरुद्ध श्री सिन्हा ने क्रमशः 66.99 रुपये और 31.00 रुपये की दर से सामग्री खरीदी। ड्रिल विट्स की खरीद से श्री सिन्हा ने बोर्ड को 15,528.50 रुपये की हानि पहुंचाई।

जांच करनेवाले दोनों मुख्य अभियंताओं ने अनियमितता बरते जाने की बात तो स्वीकार की किन्तु, उन्होंने इसे दुष्प्रेरित मानकर लापरवाही समझा है। किन्तु श्री सिन्हा ने अपनी कारंवाई से लोक निधि को भारी हानि पहुंचाई, प्रतियोगी निविदाएं आमंत्रित करने के सुस्थापित नियमों का अवक्रमण किया और सामग्री की खरीद के पहले आवश्यकता नहीं निर्धारित की, इसलिए सरकार की दृष्टि में यह बरबस एक गम्भीर चिन्ताजनक मामला है।

आरोप संख्या 4—जी0 आई0 तार की खरीद।

श्री बी0 बी0 सिन्हा ने, मेसर्स न्यू इन्डिया स्टील सिन्डीकेट, 138, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता को निम्नलिखित क्रय आदेश दिए:—

(1) 8541, दिनांक 16 अगस्त 1966, जी0 आई0 तार 8 जी0 10 एम0 टी0, 1,580 रु0 प्रति एम0 टी0 की दर से।

(2) 8543, दिनांक 16 अगस्त 1966, जी आई0 तार 10 जी0 10 एम0 टी0 1,640 रु0 प्रति एम0 टी0 की दर से।

(3) 1144, दिनांक 16 अगस्त 1966, जी0 आई0 तार 7112 जी0 10 एम0 टी0 1,790 रु0 प्रति एम0 टी0 की दर से।

(4) 145, दिनांक 16 अगस्त 1966, जी0 आई0 तार 7114 जी0 10 एम0 टी0 1,995 रु0 प्रति एम0 टी0 की दर से।

(5) 145, दिनांक 16 अगस्त 1966, जी0 आई0 तार 7116 जी0 10 एम0 टी0 2,270 रु0 प्रति एम0 टी0 की दर से।

स्टॉक या मांग ऐसी नहीं थी जिससे उपर्युक्त खरीदों का औचित्य प्रतिपादित हो, खरीदों का सूत्रपात तो फर्म से प्राप्त पत्र संख्या एम0 आई0 एस0 एस0 288/

66–67 दिनांक 16 अगस्त 1966 के आधार पर किया गया जिसका उद्धरण नीचे प्रस्तुत है:—

"अधोहस्ताक्षरी जब आपके कार्यालय में उपर्युक्त विषय पर आपसे जो मौखिक अनुदेश प्राप्त हुआ उस पर निर्देश करते हुए हम वस्तु मदों का अपेक्षित कोटेशन नीचे अंकित कर रहे हैं। यद्यपि अवमूल्यन के कारण से बाजार ऐसा नहीं है कि हम इसी दर पर वस्तुओं की आपूर्त्ति कर सकें, फिर भी, आपके अनुरोध को मानते हुए हम जी0 आई0 तार की आपूर्त्ति संबंधी आपके अनुदेश का पालन कर रहे हैं।"

फिर हस्तलिखित पत्र, दिनांक 9 अगस्त 1966 के जरिये एक अप्रार्थित ऑफर मेसर्स प्रोग्रेसिव इन्टरप्राइजेज से प्राप्त हुआ। उक्त अप्रार्थित कोटेशन के आधार पर उस फर्म को निम्नलिखित आदेश दिए गए:—

(1) 9241, दिनांक 9 सितम्बर 1966, जी0 आई0 तार 7/16 10 एम0 टी0 118 रु0 प्रति 50 कि0 ग्रा0 की दर से, 9240, दिनांक 9 सितम्बर 1966, जी0 आई0 तार 7/12–10 एम0 टी0 95 रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से।

(2) इसके अतिरिक्त, फर्म के प्रतिनिधि से विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने जो मौखिक विचार-विमर्श किया उसके बाद, उस फर्म को दो आदेश दिए गये— आदेश संख्या 13353, दिनांक 7 दिसम्बर 1966 और 121000, दिनांक 29 दिसम्बर 1966।

विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने अनियमित क्रय का औचित्य इस आधार पर सिद्ध करने की कोशिश की कि भंडारों में जी0 आई0 तार उपलब्ध नहीं थे और अनापूर्त्ति के चलते विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से इसकी मांग बार-बार की जा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ऐसे आकार वाले जी0 आई0 तारों के लिए आदेश दिए गए जैसे, संख्या 10, 7/14, 7/16 जिनके लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों से कोई मांग-पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, अन्य आकारों के संबंध में जो अपेक्षा थी, उसकी अवधि तो मार्च, 1967 तक थी। अतः नियमित प्रक्रिया से निविदा आमंत्रित करने और प्रतियोगी दरों पर आदेश देने के लिए पर्याप्त समय था। इसके अतिरिक्त आश्चर्य तो यह है कि जब स्वयं निर्माता-गण ही जी0 आई0 तार की आपूर्त्ति नहीं कर सके तब विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने ऐसे एक खास आपूरक से ली जिसने व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण अभियंता से सम्पर्क स्थापित किया। दोनों मुख्य अभियंताओं ने अपने संयुक्त जांच में यह कहा है कि तकनीकी ढंग से चूक और अनियमितताएं तो हुई हैं, फिर भी, इसे गम्भीर मामला नहीं समझना चाहिए। लेकिन जांच करनेवाले मुख्य अभियंताओं के निष्कर्ष से सहमत होना संभव नहीं है क्योंकि आपात् के नाम पर गंभीर गलतियां की गईं, गंभीर अनियमितताएं बरती गईं तथा अप्रार्थित फर्म को उनकी क्वालिटी और दर की तुलना किए बिना ही आदेश दे दिए गए।

आरोप सं0 5— मोटर स्टार्टर की खरीद ।

श्री बी0 बी0 सिन्हा ने आदेश सं० 9797, दिनांक 27 सितम्बर 1966 द्वारा 87.85 रुपये प्रति मोटर स्टार्टर की दर से, 150 मोटर स्टार्टरों के लिए मेसर्स इलेक्ट्रिक वर्क्स को आदेश दिया । 150 मोटर स्टार्टरों की आपूर्ति के लिये आदेश संख्या 9798, दिनांक 27 सितम्बर 1966 द्वारा एक दूसरा आदेश मेसर्स टिका; डाकघर इन्द्रपुर, शाहाबाद को दिया गया। दोनों फर्मों ने दर में वृद्धि के लिए अनुरोध किया । श्री बी0 बी0 सिन्हा ने पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स के पत्र में निम्नलिखित बात दर्ज की:—

"निजी सहायक श्री शिवनाथ प्रसाद ने मझे सूचना दी कि यद्यपि 1 अक्तूबर 1966 से दरें बढ़ गई हैं, फिर भी, जिन स्विचों के लिए हमलोगों ने इन्हें आदेश दिया था, उनकी आपूर्ति उन्होंने पुरानी दर पर ही की है।"

इसके वावजूद दाम में साढ़े सात प्रतिशत छूट लेने की गुंजाइश करते हुए 108 रुपये उच्चतर दर पर 882 अदद स्टार्टरों के लिए आदेश संख्या 10825, दिनांक 24 नवम्बर 1966 निर्गत किया गया। पुनरीक्षित आदेश 88,200 रुपये का था जिसके लिए विद्युत् अधीक्षण अभियंता सक्षम पदाधिकारी नहीं थे। ऊंची दर की स्वीकृति के चलते 10,602 रुपये अधिक भगतान किए गए ।

यद्यपि निविदा जून, 1966 में निर्गत की गई थी, फिर भी, विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने दिनांक 27 सितम्बर 1966 तक आदेश देने में देर की । यद्यपि विद्युत् अधीक्षण अभियंता आयात और आपूर्ति की कमी की दुहाई दे रहे थे, फिर भी उन्होंने पूरे परिमाण के लिए आदेश नहीं दिया । पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स विना आदेश के ही सामग्रियों के दर लगा रहा था, और हकीकत यह है कि इस फर्म की कीमत में वृद्धि के लिए आवेदन देने का अवसर देने के बाद ही बाजाप्ता आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त, मेसर्स ए0 पी0 मोरारका एण्ड कं० रांची को जिसने एल० टी० एल० के० मेक स्टार्टर के लिए 97 रुपये की दर कोट की थी, आदेश नहीं देने का विद्युत् अधीक्षण अभियंता के पास कोई कारण नहीं था। जी0 आई0 तार की खरीद से सम्बद्ध अनियमितताओं की जांच के दौरान मुख्य अभियंताओं ने यह कहा है कि मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स ऐसा कोई बड़ा फर्म नहीं है जो सर्किल की पूर्त्ति के लिए अनन्त काल तक सामग्रियों का अम्बार लगा रखे। परन्तु मोटर स्टार्टर की खरीद में बरती गई अनियमितताओं की जांच के दौरान उन्होंने बताया कि पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स इतना बड़ा फर्म है कि सर्किल की मांग पूरी करने को बहुत बड़े परिणाम में स्टार्टर संचित रखने में समर्थ है। इस कारण विद्युत् अधीक्षण अभियंता की कार्रवाई के समर्थन में मुख्य अभियंताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं है।

मुख्य अभियंताओं का विचार है कि चूंकि निर्माताओं ने 1 अक्तूबर 1966 से स्टार्टर का मूल्य बढ़ा दिया, इसलिए विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स के मूल्य में जो वृद्धि की वह उचित था। लेकिन मुख्य अभियंता के इस मन्तव्य को स्वीकार करना संभव नहीं है क्योंकि प्रतियोगी दरों पर आदेश देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं है। मुख्य अभियंताओं का ध्यान इस बात की ओर नहीं गया कि मेसर्स मोरारका कम्पनी का ऑफर क्यों नहीं स्वीकार किया गया जो प्रति स्टार्टर 97 रुपये की दर से आपूर्त्ति करने को तैयार थे। यह स्पष्ट है कि मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स के प्रति यह करने के लिए ही मेसर्स मोरारका ऐंड कं० का ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि बी० बी० सिन्हा ने स्टार्टरों के क्रय के मामले मे मेसर्स पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स के प्रति अनुचित पक्षपात किया और समुचित प्राधिकार के बिना ही उनके साथ सौदा किया जिसके चलते बोर्ड को 10,000 (दस हजार) रुपये से अधिक का घाटा हुआ।

आरोप संख्या 6—टी0 डब्लू0 बोर्डों का क्रय।

टी० डब्लू० बोर्डों के क्रय के लिए सैंतीस फर्मों से कोटेशन मांगे गए जिनमें से केवल पन्द्रह फर्मों ने कोटेशन दिया। प्रारम्भ में आदेश संख्या 11708, दिनांक 13 दिसम्बर 1966 के अधीन 1 रुपया 81 पैसे की दर से 1 000 टी0 डब्लू0 बोर्ड आपूरित करने के लिए मेसर्स किरण हार्डवेयर कॉरपोरेशन, गया को आदेश दिया गया था, क्योंकि उनका नमूना सबसे अच्छा था; किन्तु यह फर्म इस आदेश की पूर्त्ति नहीं कर सका।

बाद में आदेश संख्या 1057, दिनांक 10 फरवरी 1967 और 21617, दिनांक 2 मार्च 1967 के अधीन 8″ ,त 12″ वाले क्रमश: 480 दर्जन और 500 दर्जन टी० डब्लू० बोर्डस 30 रुपये प्र दर्जन की दर से आपूर्त्ति करने के लिए मेसर्स देवेन्द्र प्रसाद ऐण्ड ब्रदर्स, विश्वसदन, डाक बंगला रोड, पटना को आदेश दिया गया, जो पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स का ही एक सगोत्र प्रतिष्ठान है।

मेसर्स देवेन्द्र प्रसाद ऐण्ड ब्रदर्स ने न तो निविदा सूचना के अनुसार कोटेशन दिया नहीं उनकी दरें प्रतियोगी थीं। इसके अतिरिक्त, इस फर्म ने आदेश प्राप्ति के पहले ही सामग्री आपूरित कर दी, जिससे साफ जाहिर है कि इस फर्म के प्रति, जो पटना इलेक्ट्रिक वर्क्स का एक सगोत्र प्रतिष्ठान है, अनुचित पक्षपात किया गया।

आरोप संख्या 7—पंपिग सेट की खरीद।

प्रभात और वरुण मेक वाले मोटरों और पम्पों के 3,250 सेट की आपूर्त्ति के लिए मेसर्स बिहार केबुल ऐंड हार्डवेयर इन्डस्ट्रीज, पटना को आदेश दिये गये।

आदेश 14 लाख रुपये मूल्य के थे। यह आदेश श्री बी0 बी0 सिन्हा के पूर्वाधिकारी श्री एच0बी0 लाल, विद्युत् अधीक्षण अभियंता द्वारा दिये गए थे। अप्रील, 1966 से जून, 1966 के बीच उनके आदेशों के अनुसार बड़े पैमाने पर सामग्रियां प्राप्त की गईं। ये आपूर्त्तियां निम्न कोटि की थीं, क्योंकि इन पंपिंग सेटों के क्रियाकरण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई। श्री बी0 बी0 सिन्हा इस बात से अवगत थे और मुख्य-अभियंता को सम्बोधित अपने पत्र, दिनांक 1 जुलाई, 1966 में उन्होंने आदेश के अनापूरित अंश को रद्द कर दिए जाने के कारणों का उल्लेख किया था।

यद्यपि अभी 1,700 मोटर स्टार्टरों की डिलिवरी होनी बाकी थी तथाति विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने केवल 850 का ही आदेश रद्द किया, इस आधार पर कि सहायक विद्युत् अभियंता ने असावधानीवश इन्हें सही आंकड़े नहीं दिये लेकिन आश्चर्य तो यह कि उन्होंने अक्तूबर, 1966 में ही इस आदेश को पुनर्जीवित कर दिया। क्रय आदेश पुनर्जीवित करने का कारण विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने अपने स्पष्टीकरण में यह पाया कि बोर्ड द्वारा रखे गए एक वकील ने आदेश को रद्द न करने की सलाह इस आधार पर दी कि संविदा का मूल तत्व समय नहीं है। मुख्य अभियंताओं ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि एक प्राइवेट वकील ने जिन बिन्दुओं पर कानूनी सलाह ली है कि वे विनिर्दिष्ट नहीं हैं, इसके अतिरिक्त इस मामले में समय ही संचिका का तत्व था, और जबकि आपूर्त्तिकर्त्ता निर्धारित तिथि तक क्रय आदेश को कार्यान्वित नहीं कर सके तब आदेश को रद्द किया जाना पूर्ण न्यायोचित था। दोषपूर्ण पम्पों की आपूर्ति का आदेश पुनर्जीवित करने जैसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले विद्युत् अधीक्षण अभियंता को चाहिए था कि बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लेते। स्पष्ट है कि इस मामले में गंभीर चूक को छिपाने के लिए ही विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने कानूनी सलाह की आड़ ली।

आरोप संख्या 8—जी०आई० फिटिंग्स की खरीद।

जी० आई० फिटिंग्स को निम्न परिमाण में आपूर्त्ति के लिए मेसर्स संजीव इन्टरप्राइजेज को आदेश संख्या 9286 एवं 9487, दिनांक 16 सितम्बर 1966 में क्रय आदेश दिए गए।

इकाई।	आदेश की मात्रा।	जिस दर पर क्रय आदेश दिए गए।	लगभग बाजार दर।
		रु०	रु०
बेण्ड 1" ..	150 दर्जन ..	41.00	10.00
सॉकेट ¾" ..	150 दर्जन ..	24.00	4.00
सॉकेट 1½" ..	120 दर्जन ..	37.00	6.00

इकाई।	आदेश की मात्रा।	जिस दर पर क्रय आदेश दिए गए।	लगभग बाजार दर।
एल्वो $\frac{3}{4}''$ ..	80 दर्जन ..	46.00	8.00
एल्वो $\frac{3}{4}''$ ..	50 दर्जन ..	60.00	15.00
एल्वो $1\frac{1}{2}''$ ..	50 दर्जन ..	76.00	25.00

श्री बी० बी० सिन्हा ने उपर्यक्त क्रय आदेश उन दरों के आधार पर दिये जिन दरों पर विद्युत् अधीक्षण अभियंता, भागलपुर ने ऐसा क्रय आदेश दिया था। मेसर्स संजीव इन्टरप्राइजेज, पटना को अति उच्च दर पर क्रय आदेश देने का औचित्य विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने यह कहकर प्रतिपादित किया है कि इन फिटिंग्स को स्टॉक स्थिति शून्य थे और क्षेत्रीय पदाधिकारीगण इसके लिए बड़े जोरों की मांग कर रहे थे। इस तीव्र मांग की पूर्त्ति के लिए ही भागलपुर सर्किल दर से क्रय आदेश दिए गए। मुख्य अभियन्ताओं ने यह विचार व्यक्त किया है कि असली कसूर भागलपुर विद्युत् सर्किल का है जिसने सर्किल दर पर क्रय आदेश दिए। इस बात को आधार बनाकर श्री बी० बी० सिन्हा के गम्भीर आरोपों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता, उनपर सिर्फ यही जवाबदेही नहीं है कि उन्होंने उपयोगी दर को तय करने में नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि बोर्ड को 18,000 रुपये की हानि भी पहुंचाई।

आरोप संख्या 9—ग्रास अर्थ टरमिनल्स और जी० एम० फ्यूज ब्लाक्स की खरीद।

श्री बी० बी० सिन्हा ने अर्थ टरमिनल्स और जी० एम० फ्यूज ब्लाक के लिए निम्नलिखित आदेश निर्गत किए:—

10380, दिनांक 1 नवम्बर 1966।
10381, दिनांक 1 नवम्बर 1966।
10382, दिनांक 1 नवम्बर 1966।
10383, दिनांक 1 नवम्बर 1966।
10384, दिनांक 1 नवम्बर 1966।
10375, दिनांक 1 नवम्बर 1966।

बी० एम० फ्यूज ब्लाक—

4356, दिनांक 7 जून 1967 ।

4345, दिनांक 7 जून 1967 ।

उपर्युक्त क्रय आदेश बिना निविदा मांगे ही निर्गत किए गए, और सो भी, बाजार दर की तुलना में अत्यधिक ऊंची दर पर। विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता, गया का यह प्रतिकथन स्वीकार्य नहीं है कि यह गम्भीर चिन्ता का विषय इस कारण से नहीं होना चाहिए कि क्रय आदेश उसी दर के आधार पर दिए गए जिस दर पर इसके लिए क्रय आदेश एक दूसरे विद्युत् सर्किल में दिये गये थे। यदि भागलपुर विद्युत् सर्किल में इस सामग्री की खरीद में नियम का उल्लंघन हुआ तो इससे खामखाह यह नतीजा नहीं निकलता है कि गया सर्किल में उसी प्रकार का नियम उल्लंघन को उपेक्षित कर दिया जाय, और सो भी ऐसी स्थिति में जबकि सरकार का निर्णय हो चुका है कि इसी तरह की चूकों के लिए विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए।

आरोप संख्या 10—मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स, गया को सीमेंट का दिया जाना।

मेसर्स दया इंजीनियरिंग वर्क्स, गया को इस फर्म द्वारा कंक्रीट खम्भों के निर्माण के लिए बोर्ड के आदेशानुसार सिमेन्ट के 1,840 बोरे निर्गत किए गए। विद्युत् अधीक्षण अभियन्ता इस बात से पूर्णतः अवगत थे, किन्तु भंडार से निर्गत होनेवाले सीमेंट का उचित लेखा रखा जा रहा है या नहीं, इस बात पर नजर रखना उनका कर्त्तव्य था, जो उन्होंने नहीं किया।

आरोप संख्या 11—भंडार से सत्यापन के दौरान पाई गयी अनियमितताएं।

भंडार में 481 सत्यापित वस्तु मदों में से 5 लाख रुपये मूल्य की 136 मदें कम पाई गई और 20 लाख रुपये मूल्य के 245 मदें ज्यादा पाई गई। इस तरह, कुल फर्क 25 लाख रु० का आता है। इससे यह पता चलता है कि बिना मांग के ही अथवा भंडार स्थिति को बूझे बिना खरीद की गई। सामग्रियां खरीदने में ही दिलचस्पी रही और मुख्यतः इसी को आधार बनाकर सामग्रियों की खरीद की गई, न कि आवश्यकता के आधार पर। क्रैश प्रोग्राम की वांछनीयता के नाम पर पूरी अस्तव्यस्तता या अव्यवस्था होनताबनी रही। ऐसा कोई स्टाक रेकर्ड भी नहीं है कि जिससे सामग्रियों की क्वालिटी और सामग्री सप्लाई के मुकाबले में कार्य की प्रगति का पता चले। बहुसंख्यक मामलों में विद्युत् अधीक्षण अभियंता ने जबानी बातचीत से ही दरें तय करके कागजी खरीदें कर

लीं। सरकारी खरीद के सम्बन्ध में यह तरीका बहुत ही अनियमिततापूर्ण है और इससे इस तरह की खरीद करनेवाले पदाधिकारी के आचरण पर प्रबल आंच आती है। जहां एक ओर यह हालत थी कि जनता द्वारा पूर्तिकर्त्ता के आधार पर, पम्प कनेक्शन के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों पर दवाव डाल रही थी, वहां दूसरी तरफ घटिया किस्म के पम्प प्राप्त होते रहे और वोर्ड के भंडार में बेकार पड़े रहे। फाटक-प्रवेश-अभिलेख के अभाव में यह पता चलाना मुश्किल है कि किन सामग्रियों के लिए आदेश दिया गया और कौन-सी सामग्रियां प्राप्त हुई।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर भी इसी में है। यह भी इसी टाइप का केस है। श्री बी० बी० सिन्हा, अधीक्षण अभियंता...........

श्री रामजी प्रसाद सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि उत्तर में दिया हुआ है कि श्री बी० बी० सिन्हा को विद्युत् विभाग के आदेश संख्या 368, दिनांक 16 जून 1972 द्वारा निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश के तामील होने के पूर्व ही उन्होंने उच्च न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली, जो अभी भी लागू है। यह केस अभी न्यायालय में विचाराधीन है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो केस न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर क्या सदन में विचार हो सकता है या नहीं?

अध्यक्ष—सदन में विचार होगा, जरूर होगा।

श्री जनार्दन तिवारी—होगा, जरूर होगा। [ ]

अध्यक्ष—आपका ख्याल है कि 1972 से जो लटका हुआ है सदन भी उसको चुपचाप देखता रहे, ताकता रहे?

श्री तेज नारायण झा—अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की जब सरकार थी, 1967 में, उसी समय से यह लटका हुआ है। हमलोगों ने ससपेन्ड किया था और जब कांग्रेस सरकार आयी तो उसको रिइन्सटेट किया है।

श्री जनार्दन तिवारी—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि साढ़े तीन वर्ष हो गये, यह केस हाई कोर्ट में दाखिल हुआ तो उस केस को विद्युत् विभाग के कौन-कौन अधिकारी देखते हैं, और अभी तक केस खुला क्यों नहीं है?

श्री मु० हुसैन आजाद—अध्यक्ष महोदय, यह हाई कोर्ट में पेन्डिंग है और हाई कोर्ट को हम कैसे मजबूर करें कि केस को जल्दी खोल दें।

टिप्पणी—[ ] अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित।

अध्यक्ष—इसको दूसरे ढंग से यह कहिये कि 1972 से यह लटका हुआ है।

तो हाई कोर्ट में आपके कौन वकील हैं जो पैरवी करते हैं और गवर्नमेन्ट की तरफ से क्या प्रयास किया गया है कि जल्द इसका फैसला हो सके।

श्री तेज नारायण झा—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह बात कही।

आम तौर से क्या होता है, हाई कोर्ट इतनी ऊंची संस्था है, जिसके प्रति जनता को श्रद्धा है। लेकिन हाई कोर्ट में जो पैरवी करते हैं, सरकार की तरफ से, विद्युत् बोर्ड की तरफ से जो वकील हैं, उनका काम है कि स्टे ऑर्डर को भेकेट करवायें और भैकेट कराने की कार्रवाई नहीं की जाय, जबकि उनकी जिम्मेवारी है और इस तरह हाई कोर्ट का नाम थोप दिया जाय, तो यह अन्याय है। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि केस को जल्द खोलवायें।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री महोदय, आप यह बतायें कि सरकार की तरफ से

कौन वकील हैं जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं।

श्री मु० हुसैन आजाद—हुजूर, इसमें गवर्नमेन्ट प्लीडर श्री टी० के० झा हैं,

---

जो इस केस को डील कर रहे हैं। इस केस के वकील हैं।

अध्यक्ष—कब से हैं ?

श्री मु० हुसैन आजाद—शुरू से ही, जब से केस चल रहा है।

अध्यक्ष—1972 से ही ?

श्री मु० हुसैन आजाद—हो सकता है कि बदले होंगे, लेकिन अभी वही

प्लीडर हैं।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, श्री एल० पी० अग्रवाल, अधीक्षण

अभियंता पर 11 स्पेसिफिक चार्जेज हैं और प्राप्त कतिपय आरोपों के संबंध में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा गोपनीय जांच प्रगति पर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये आरोप इन पर कब लगाये गये, निगरानी विभाग में कब गये और इन पर कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री मु० हुसैन आजाद—अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री और आपके लेवेल पर

एक मीटिंग हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो मामले विजिलेन्स में चला जाय उनके बारे में छः महीने तक सदन में विचार नहीं होगा और कोश्चन नहीं होगा।

अध्यक्ष—कब से है ?

श्री मु० हुसैन आजाद—19 फरवरी 1976 को यह विजिलेन्स में भेजा गया है।

अध्यक्ष—उसके पहले कोई चार्जेज नहीं थे ?

श्री मु० हुसैन आजाद—चार्जेज पहले से ही थे और आपसे जब परामर्श हुआ.........।

अध्यक्ष—जिस निर्णय की बात आप कहते हैं, उसकी प्रति यहां है (हाथ में लेकर दिखाते हुए)। जब कोई करप्शन का मामले आ जाय प्रथम-प्रथम तो छः महीने तक इसके संबंध में प्रश्न नहीं पूछे जायं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि प्रथम ये चार्जेज गवर्नमेन्ट को कब मिले, गवर्नमेन्ट में किस डिपार्टमेन्ट को कब मिला ?

श्री मु० हुसैन आजाद—यह भी केस काफी पुराना है, चार्जेज काफी पहले मिले थे। इसको सरकार देख रही थी, लेकिन अब विजिलेन्स में इसको दे दिया है और मैं समझता हूं कि इसमें सरकार की नीयत बहुत साफ है। विजिलेन्स सारे चार्जेज को देख रहा है और सरकार को जो रिपोर्ट मिलेगी, सरकार उस पर ऐक्शन लेगी।

श्री जनार्दन तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न श्री एल०पी० अग्रवाल के बारे में पूछना चाहता हूं। क्या यह बात सही है कि वह हाई कोर्ट गये, रुकवाने के लिये ? वहां रिट हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट गये और विद्युत् बोर्ड के लोग वहां जाकर पैरवी कर रहे हैं कि यह केस ऐडमिट नहीं हो ?

श्री मु० हुसैन आजाद—इसकी जानकारी नहीं है। कोई भी आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो उसको सरकार कैसे नहीं जाने के लिए बाध्य कर सकती है ?

श्री रामसेवक सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी जो कहा गया है कि श्री अग्रवाल ने हाईकोर्ट में रिट किया और वे सुप्रीम कोर्ट चले गये। हाई कोर्ट में रिट दूसरे विषय पर उन्होंने किया था, उनका प्रमोशन रुका हुआ था और प्रमोशन के लिए वे हाई कोर्ट गये।

श्री प्रभुनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार ने स्वीकार किया कि उन पर अभियोग काफी पुराना है। जब मामला निगरानी विभाग में भेजा गया तो उसके पहले विभाग ने इसकी जांच की और उन पर विभागीय कोई कारंवाई करने की कोशिश की?

श्री मु० हुसैन आजाद—यह विजिलेन्स में गया हुआ है, यह विजिलेन्स को सुपुर्द है। वहां से जब चार्ज बनकर आयगा तो उसी के मुताबिक ऐक्शन लेंगे।

अध्यक्ष—जब विजिलेन्स को ही सब कुछ करना था तो पहले ही क्यों नहीं आपने भेज दिया?

श्री भोला प्रसाद सिंह—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार का यह कहना है कि निगरानी विभाग को भेज दिया गया। विद्युत् बोर्ड में ही निगरानी कोषांग स्थापित हो गया है। जब निगरानी कोषांग उसी में है, तब यह कहना कि निगरानी विभाग में भेज दिया गया उचित नहीं है विद्युन् बोर्ड में निगरानी कोषांग है, इसलिये छः महीने का प्रोटेक्शन इनको नहीं मिल सकता है।

श्री मु० हुसैन आजाद—कैबिनेट विजीलेन्स में है।

श्री भोला प्रसाद सिंह—निगरानी कोषांग विद्युन् बोर्ड में है, जो इन्टरनल विजीलेन्स है।

श्री हेमन्त कुमार झा—सरकार ने अपने उत्तर में बतलाया है कि 23 मई 1968 को पार्टीकुलरली यह निदेश दिया गया था और उसके अनुसार दो मुख्य अभियंताओं से इन सारी चीजों की जांच करायी थी और वे दो मुख्य अभियंता थे श्री श्रीवास्तव एवं श्री ओझा। 800 पन्ने की रिपोर्ट इनलोगों ने दी थी और अभी आरोप सख्या 1,2 और 5 में जिन सामानों की आपूर्ति का विवरण है, उन सामानों का भुगतान 1975 में कर दिया गया जो रुका हुआ था। सरकार ने जो उत्तर दिया है आरोप के संबंध में, वह बिलकुल गलत है। आप समय दीजिएगा तो मैं एक-एक को कन्ट्राडिक्ट कर दूंगा कि इन्होंने सारा उत्तर गलत दिया है।

अध्यक्ष—गलत उत्तर से भी जितनी बातों को प्रकाश में लाया गया है, वह पर्याप्त है।

श्री हेमन्त कुमार झा—मेरी जानकारी क्या सही नहीं है कि बोर्ड के दो मुख्य अभियंताओं श्री श्रीवास्तव और श्री ओझा ने 1968 के दसवें महीने में सरकार को रिपोर्ट दी ?

अध्यक्ष—शांति। मैं मंत्री महोदय के चेहरे को देखकर कह सकता हूं कि इन्होंने पढ़ा नहीं है।

श्री हेमन्त कुमार झा—यह रिपोर्ट जो दो मुख्य अभियंताओं ने दी है, हमलोगों को मिलनी चाहिए। एक-एक आरोप के बारे में बहुत स्पष्ट तौर से उल्लेख किया गया है। आखिर क्या हो रहा है इस राज्य में ? उस रिपोर्ट को मंगाईये और हमलोग भी देखें। उसके बाद फिर फरदर इन्क्वायरी हुई, 4-4 इन्क्वायरी एक साथ चली, परन्तु बोर्ड इस मामला को लेकर बैठा हुआ है सरकार का निदेश जाता है लेकिन बोर्ड कैरी आउट नहीं कर रहा है। सारी स्थिति को सरकार सदन के सामने क्यों नहीं रखती है, क्यों झंझट चल रहा है ? निदेश सरकार का जाता है, लेकिन बोर्ड कैरी आउट नहीं करती है।

श्री शकूर अहमद—अध्यक्ष महोदय, इन्होंने दिया है कि 15,16 जून 1972 को श्री बी० बी० सिन्हा का निलंबन कर दिया गया। उसके बाद यह हाईकोर्ट चले गये। हाई कोर्ट ने रिट इशू करके रोक दिया। हम जानना चाहेंगे कि उस रिट को भैकेट कराने के लिए इनके सरकारी वकील ने किस किस तारीख को क्या-क्या पैरवी की ?

श्री मु० हुसैन आजाद—वह इसमें नहीं है।

श्री शकूर अहमद—यह तो बहुत जरुरी है कि रिट हो गया। तो गवर्नमेन्ट की तरफ से या इनके ओफिसरों की तरफ से प्रयास हुआ कि नहीं, भैकेट कराने के लिए ?

श्री मु० हुसैन आजाद—जब-जब डेट पड़ा होगा तब-तब जरुर प्रयास किया होगा।

श्री शकूर अहमद—सरकार की तरफ से वकील ने मूव किया ?

अध्यक्ष—मैंने एक ही वाक्य में इसका उत्तर दे दिया, बाबा की याद आ रही है।

(हंसी)

श्री प्रभुनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, बाबा कौन हैं ?

अध्यक्ष—बाबा हैं, सारा सूबा जानता है। आप नहीं जानते हैं, नये हैं।

श्री तेजनारायण झा—सरकार ने अभी जो जवाब दिया है, वह जवाब हमलोग समझ नहीं पाये हैं, अन्तर्यामी होगा वही इनके जवाब को समझ सकता है। माननीय सदस्य श्री हेमन्त कुमार झा ने बताया कि इसके संबंध में श्री बी० एन० ओझा और श्री श्रीवास्तव दो मुख्य अभियंताओं ने अपनी रिपोर्ट दी थी और 8-9 साल हो गये रिपोर्ट नहीं पढ़ने को मिली। उस रिपोर्ट की कौपी सदन में सरकार रखना चाहती है ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—बहुत मोटी रिपोर्ट है।

श्री तेजनारायण झा—अगर मोटी रिपोर्ट है तो सभी सदस्य को नहीं बंटवाकर अगर एक कौपी सदन में दे दीजिए या लाईब्रेरी में दे दीजिए तो हमलोग पढ़ सकते हैं।

श्री मु० हुसैन आजाद—एक कौपी अध्यक्ष को दे देंगे।

श्री तेजनारायण झा—दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री अग्रवाल आनन्दमार्गी हैं और सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। हाई कोर्ट ने स्टे किया और फिर भैकेट हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐडमिट नहीं हुआ, इस बीच में ससपेन्शन ऑर्डर एक्जीक्यूट किया जा सकता है या नहीं ?

श्री मु० हुसैन आजाद—कार्रवाई के सिलसिले में हमने कहा कि केस कैबिनेट विजीलेन्स में गया हुआ है, जहां उसकी छानबीन हो रही है। वहां के निर्णय के पहले सरकार क्या एन्क्वायरी करेगी, सरकार क्या ऐक्शन लेगी ?

अध्यक्ष—माननीय मंत्री, हमने अगर ठीक सुना, 1967 से यह मामला चल रहा है। तो 1967 से लेकर 1976 में कुछ महीने पहले, आप ने विजीलेन्स में भेजा, तो इतने दिनों तक आप माइण्ड मेक-अप नहीं कर सके ?

श्री मु० हुसैन आजाद—फाइल तो यही बता रही है।

(हंसी)

श्री जनार्दन तिवारी—इनको माइण्ड हो तब न मेक-अप करेंगे। माइण्ड ही नहीं है तो मेक-अप कैसे करेंगे ?

श्री राम लखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को मालूम है कि......

अध्यक्ष—अब पूछियेगा तो क्रुयेल्टी (cruolty) होगी।

श्री राम लखन सिंह यादव—मैं एक ही पूरक पूछना चाहता हूं। क्या सरकार को मालूम है कि श्री बी० बी० सिन्हा और श्री एल० पी० अग्रवाल पर जो आरोप हैं, उनसे भी गम्भीर आरोप अन्य तीन इन्जीनियरों पर हैं और साबित भी हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड ने उनलोगों को प्रमोशन भी दे दिया है ? जो रिट हाई कोर्ट में दाखिल हुआ, उसको भैकेट कराने में सरकार डर रही है कि केस खुलेगा, तो वह फंस जायगी।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—माननीय सदस्य श्री रामलखन सिंह यादव क्या कह रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। चूंकि मामला बोर्ड का है और बोर्ड की हरेक जानकारी सरकार के पास रहती नहीं है। अगर स्पष्ट जानकारी वे दे दें कि कौन-कौन इंजीनियर हैं और उन पर क्या क्या आरोप हैं, तो सरकार उन पर इनक्वायरी करा देगी।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार यह बतायेगी कि बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के एक श्री शर्मा को प्रोन्नति दी गयी है जबकि उनपर 55 लाख के बजाय 120 लाख रु० नाजायज ढंग से खर्च करने का आरोप है जिसके लिये मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग ने जांच करके रिपोर्ट भी दी है कि इन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाय और उसके बावजूद इनकी प्रोन्नति हुई ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामलखन सिंह यादव—इस जानकारी के आधार पर क्या मुख्यमंत्री महोदय उन पर इनक्वायरी करायेंगे ?

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—माननीय सदस्य श्री रामलखन सिंह यादव इन सारी बातों को बता दें कि वे क्या कहना चाहते हैं तो मैं इनक्वायरी करा दूंगा।

श्री जनार्दन तिवारी—आप बोर्ड के कस्टोडियन हैं, फाइनेन्स करते हैं तो आपको जानकारी रहनी चाहिए।

श्री कमलदेव नारायण सिन्हा—जैसा कहा गया कि वे पहले प्रमख अभियंता थे और अभी अध्यक्ष हैं और श्रीवास्तव कमिटी ने रिपोर्ट दी तो क्या सरकार बतायेगी कि उस रिपोर्ट पर बोर्ड ने क्या फैसला लिया और बोर्ड ने क्या अनुशंसा सरकार को दी ?

श्री मुहम्मद हुसैन आजाद—- हुजूर, माननीय सदस्य ने अभी जो सवाल उठाया है उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड की एक मीटिंग हुई है 13 जुलाई 1976 को और बोर्ड ने रिकोमेण्डेशन किया है कि ससपेंशन का जो ओर्डर है, उसको हटा लिया जाय।

अध्यक्ष—- किस पर से, श्री बी0 बी0 सिंहा पर से ?

श्री मुहम्मद हुसैन आजाद—-जी।

अध्यक्ष—- अच्छा।

श्री मुहम्मद हुसैन आजाद—- उसमें यह नहीं कहा गया है कि चार्ज नहीं है। इस ग्राउन्ड में ससपेंशन 1972 में हुआ और वह एक्जेक्यूट नहीं हो सका और हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है तथा ये काम कर ही रहे हैं और चूंकि इतने दिनों से केस पेंडिग है इसलिये इसको विथड्रॉ कर लिया जाय।

अध्यक्ष—- शान्ति। जो लिटिगेशन में चला जाय उसको रिवार्ड मिलना चाहिये इसका मतलव यही है।

श्री जनक यादव—-मेरा प्वायंट ओफ ओर्डर है, अध्यक्ष महोदय। आप देखेंगे कि आज 27 जुलाई हो गया और 22 जून से आज तक विहार मंगल ग्रह पर जा रहा है। विहार मंगल ग्रह पर इस माने में जा रहा है कि यहां लोटरी कांड हुआ, अरबन बैंक लूट कांड हुआ, को-ओपरेटिव बैंक कांड हुआ, गंडक परियोजना कांड हुआ और लोक-निर्माण विभाग का कांड हुआ। इसी तरह रोज-ब-रोज विहार के संबंध में कांड ही कांड की बात सदन में आयी। अभी सदन में सुना कि पम्पचर कांड हुआ। इस तरह की हालत जो बिहार की होती जा रही है, इसलिए मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। क्या इस पर सरकार तथा सदन बिहार के हित में विचार कर सकते हैं जिससे बिहार उन्नति और विकास के रास्ते पर जा सके ?

डा० जगन्नाथ मिश्र— हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे माननीय

सदस्य श्री जनक यादव ने चर्चा की है। वह क्या विषय है जो सदन के सामने रहा तथा इस सरकार ने पिछले एक साल के भीतर में, जो पीछे के सभी वर्षों की गड़बड़ियां रहीं उनको निकालने की कार्रवाई की। सरकार की भी नियत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विभिन्न अभियान चलाये गये हैं वह स्पष्ट हो। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग में एक साल के अन्दर अनेक लोगों को पकड़ा गया, अनेक लोगों को सजा दी गयी, लौटरी कांड में लगे व्यक्तियों के डिफालकेशन पकड़े गये। इस तरह पिछले कई वर्षों से जो गड़बड़ी चल रही थी उसे निकालने का काम भी हमारी सरकार ने किया। उसी तरह से को-ऑपरेटिव की जो बातें हैं, वे भी पुराने समय की बात है। एक साल के भीतर 1 करोड़ 29 लाख का डिफालकेशन पकड़ा गया। कई ऑफिसरों पर कार्रवाई हुई। एक हजार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के सेक्रेटरीज और चेयरमैन जो हैं उन पर कार्रवाई हुई है और भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की दिशा में कठोर-से-कठोर कार्रवाई की गयी है (थपथपी) और इस दिशा में कार्रवाई करने के लिए सरकार दृढ़संकल्प है और कार्रवाई कर रही है।

श्री तेज नारायण झा—आज जो बातें हुई वे क्या इसमें अपवाद हैं ?

डा० जगन्नाथ मिश्र—नहीं, वह भी है।

अध्यक्ष (खड़े होकर)— जो मौजूदा प्रश्न है, उस पर काफी देर तक विचार-विमर्श हुआ। दो संबंधित अधिकारी इसमें हैं, श्री बी० बी० सिंहा और श्री अग्रवाल बोर्ड ने आपको सिफारिश की है कि श्री बी० बी० सिन्हा पर से निलम्बन का आदेश उठा लिया जाय। मैं नहीं जानता हूं कि गवर्नमेंट की उस पर क्या प्रतिक्रिया है या होगी। लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूं और मुझे लगता है कि सदन के संबंध में भी जो मेरा अन्दाज है वह मैं कह सकता हूं। मैं देख रहा हूं कि 1972 में आपने निलम्बन का आदेश दिया। गंभीर आरोप थे, और सिन्हा साहब हाई कोर्ट में चले गये, वहां से स्टे ऑर्डर ले लिया। इस परिस्थिति में निलम्बन का आदेश हटा लेना या उठा लेना एक ऐसे ऑफिसर पर से जिसके खिलाफ प्राइमा फेसी सिरियस चार्जेज हैं, चूंकि वे लिटिगेशन में चले गये, उनको रिवार्ड देना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्द-से-जल्द जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इनजंक्शन है, भैकेट कराने के लिए और सीधी राह पर लाने के लिये जो मुनासिब पैरवी हो सकती है, बड़े-से-बड़े वकील के द्वारा यह करायी जाय।

दूसरी बात रही श्री अग्रवाल के संबंध में। यह सुनने में आया कि 1967 से एक-न-एक तरह से इनका मामला बिहार सरकार के विचाराधीन है। यह भी

सुनने में आया कि उनके खिलाफ भी सिरियस चार्जेज हैं, जो निगरानी विभाग में भेजे गये हैं। मेरी समझ में वस्तुस्थिति पर आप जायं कि किस तरह के चार्जेज हैं और उन पर शीघ्रताशीघ्र विचार कीजिये। विचार करने के बाद लेकिन फैक्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता अगर हो, तो कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिये।

सदस्यगण--- अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की सजा दी जाय।

कटाव रोकने की व्यवस्था।

1713. श्री भोला सिंह---क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि---

(1) क्या यह बात सही है कि बूढ़ी गंडक, बेगुसराय जिलान्तर्गत पवड़ा, टेकनपुरा अखौर, वासुदेवपुर-चांदपुरा, नमीमा चांदपुरा के निकट भयानक कटाव कर रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि इससे इन गांवों के हजारों परिवारों के विस्थापित हो जाने की संभावना बढ़ रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गांवों में होनेवाले कटाव को रोकने के लिए कोई आवश्यक ठोस कदम उठाने का विचार रखती है; यदि हां, तो क्या और कबतक?

श्री मुहम्मद हुसैन आजाद---(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) वर्तमान समय में कोई खतरा नहीं है। उक्त स्थलों पर बांध के कट जाने पर ही परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है।

(3) उल्लिखित ग्रामों के रक्षार्थ आवश्यक कटाव निरोधात्मक एवं सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है जिससे नदी के द्वारा कटाव पर नियंत्रण हो सके।

श्री भोला सिंह--- अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि टेकनपुरा में जहां नदी कटाव कर रही है, जहां पुराना बांध नदी काट चुकी है, अभी तक इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है?